फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

मुनसफ बनाम समसुदीन वगैरा

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट (स्थगन प्रा0 पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
03.01.2019	आज यह प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट वकील सायल द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूलवाद के साथ पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं जमाबन्दी सं0 2071–75 की फोटोप्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। हमने वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सूविधा का संतुलन सायल के पक्ष में साबित होना प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.02.2019 तक पाबन्द किया जाता हैं कि विवादित आ.ख. नं0 हाल 176 रकबा 0.0885 है0 वाके ग्राम न्याणा त0 गोंविन्दगढ में आने जाने में रूकावट मजामत व निमार्ण कार्य न करें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई एतराज हो तो नियत दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावें। आदेश जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जर्ये रजिस्टर्ड एडी नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 13.02.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	
13.2.19	आज यह पत्रावली पेश हुई। आज बा· एसोसियेशन ने कार्य स्थगित कर रखा है P. O. साहब भ्रमण पर हैं। पत्रावल· दिनांक 18.4.19 को पेश हो।	
18.4.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। गैरसायलान न. 1,2 की विधिवत तामील हो चुकी है। जो बावजूद तामील के उप0 नहीं जिनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26.6.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज0	
26-6-19	·ज यह पत्रावली पेश हुई। आज बा· ·सोसियेशन ने कार्य स्थगित कर रखा है ·. O. साहब भ्रमण पर हैं। पत्राव· दिनांक 27.8.19 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)
मुसफ़ वगैरा बनाम समसुद्दीन वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
	11.12.23 वकील प्रार्थी अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक 09.9.22 की पालना में पत्रावली वास्ते बहस दि० अंतिम मौका दिनांक 10.1.24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
10/1/24	पत्रावली पेश। P.O. साहब V.B.S.I. कैम्प कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 30/1/24 को पेश हो। [signature] रीडर	
30.1.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को बहस हेतु बार-बार मौका दिया जा चुका है अतः न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए हिदायत दी जाती है कि आ० ता० पेशी पर आवश्यक रूप से बहस हेतु उपस्थित हो। पत्रावली आपदा दिनांक 22.2.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
22-02-2024 ~~22-20-2024~~	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। पत्रावलि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आदेशिका दिनांक 03.01.2019 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. वादी पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। पत्रावलि इसके उपरान्त विगत दीर्घावधि से बहस के स्तर पर लम्बित है प्रार्थी द्वारा इस प्रा०पत्र के अंतिम निस्तारण में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है, अनेकानेक अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा बहस नहीं की जा रही है। [signature] क्रमशः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
	मुनसफ वगैरह V/s सरफुद्दीन वगैरह	

इससे न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि आदेशिका दिनांक 03.01.2019 से जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त कर प्रा०पत्र को अदम पैरवी में खारिज किया जावे जिससे कि पत्रावलि अनावश्यक दीर्घावधि से निस्तारण से शेष न रहे।

अत: यह न्यायालय आदेशिका दिनांक 03.01.2019 से जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राज. काश्तकारी अधिनियम को अदम पैरवी में खारिज करता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावलि बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

22-02-2024

(सुरेन्द्र प्रसाद)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी-गोविन्दगढ़